In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

RAKESH KUMAR–V

राजगृह तिवारी बनाम ओम प्रकाश तिवारी वगैरह

T.S–338/2024

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
28-08-2025	वादी की हाजिरी है। वादी की ओर से दिनांक–03.06.2025 को शपथ पत्र के साथ समर्थित एक आवेदन आदेश–6 नियम–17 एवं एवं धारा–151 सी0पी0सी0 अंतर्गत दाखिल किया गया है। वादीगण का कथन है कि वादपत्र में टंकण भूल के कारण कुछ गलत अल्फाज टंकित हो गया है एवं कुछ छूट गया है, जिसका सुधार होना न्यायहित में जरूरी है। अतः निवेदन किया गया है कि आवेदन को स्वीकृत कर आवेदन के अंत में जो अल्फाज दिया गया है उसे जोड़ने का सादर हुकुम फरमाया जाए। प्रतिवादीगण अभी तक वाद में उपस्थित नहीं है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन औपचारिक प्रकृति का है तथा स्पष्टीकरण मात्र है। इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। अतः वादी का संशोधन आवेदन दिनांक–03.06.2025 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी वाद–पत्र में विधिक समयानुसार संशोधन करें। वास्ते दिनांक–16.10.2025 उपस्थिति हेतु। लेखापित अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर, भोजपुर	